



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



कृषि व वन
ONE NATION - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— 2785 /12-1 देहरादून:दिनांक: 19 मई, 2025

सेवा,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन,

वन अनुभाग-03।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारी गांव रजवार बोक्टा धुरोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.87 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या—FP/K/ROAD/8887/2014)

संदर्भ:—उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 के पत्रांक-151/X-4-15/1(65)/2015 दिनांक 30-03-2015.

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगतनीय है कि नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वारा एन०पी०वी० हेतु रु० 53,11,227.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 11,06,820.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रु० 20,00,000.00 जमा करायी जा चुकी है। (संलग्नक-01) भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं० 1898/सात-59 /2021-22 दिनांक 01.07.2022 को 7.74 हे० को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। (संलग्नक-02)
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगतनीय है कि मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्नक-01 के अनुसार)
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/ 2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगतनीय है कि नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण द्वारा एन०पी०वी० हेतु आवश्यक धनराशि रु० 53,11,227.00 जमा करायी जा चुकी है। (संलग्नक-01 के अनुसार)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है। (संलग्नक-03)

	बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3 /2007- एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-01 के अनुसार)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू-वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।(संलग्नक-04)
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।(संलग्नक-05)
8.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है
9.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या-2785/ 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक / एन०पी०वी०

संज्ञा सं.

दिनांक 14/7/15
3240
14/7/15
2240

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं माडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27-05-2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिए एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानव) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका I.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R.N. 3240/22415. 15/7/15

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर)

(वाई०एन० राजवंशी),
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

दिनांक 6/6/2015.

प्रतिलिपि -

- 1- निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 2- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, आयरॉस माटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 7- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता 12 में वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (6)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि० अधीनस्थ खण्डों का सुदृढ़ता परीक्षण करने का कण्ट कराने।

हस्ताक्षर एवं मुद्रा

दिनांक

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

1/1/15 03/1/15 दि० 9-6-2015

श्री 1/1/15 दि० 9-6-2015



Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-mail: eeedpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक / एन०पी०वी०

दिनांक 27/05/2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,
इंदिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

दिनांक 27/05/2015.

पत्रांक 323/2015

दिनांक 14/05/2015

पत्रांक 22/2015

विषय -

वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण
प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन।

संदर्भ -

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25
बजट-टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग-रा०से०)/2015-16, दिनांक 18-05-2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण
विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि
₹ 7,46,28,097.00 (₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची
के अनुसार ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1. एन०पी०वी० भुगतान हेतु	₹ 4,55,16,177.00
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 1,35,30,206.00
3. पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹ 1,55,36,879.00
4. मलवा निस्तारण	₹ 44,835.00
योग	₹ 7,46,28,097.00

अर्थात् कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से
दिनांक 23-05-2015 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttaranchal S B
A/c No. 037100101025229 कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा
रहे हैं। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न - 1- आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।

2- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

27/05/2015/AE II

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।
दिनांक 27/05/2015.

पत्रांक

1546 / एन०पी०वी०

प्रतिलिपि -

निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।
- 6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/
मिथौसगढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि०
अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करके।

पत्रांक 1546/323/2015 दिनांक 17-05-2015

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
देहरादून।

e-PayOrder Details

e-PayOrder Number CN36244196

Debit Status Success

Scheduled Time 27-May-2015 [12:00 AM] IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal

Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight
Thousand Ninety Seven only

7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN

316208SFTPUSER

Jagat Singh Chauhan

"CN36244196"

Maker

Authorizer 1

010027051542796

Counterfoil Description E01002127051542794

Transaction Type NEFT Funds transfer

Debit Account Details

Account No.

Branch

Amount

00000010901749156

DEHRADUN

7,46,28,097.00

Credit Account Details

Beneficiary Name/Account No.

Bank/Branch/IFSC Code

Amount

Credit Status UTR No.

Compensatory Afforestation
Fund (CAF)

NEW DELHI LODHI

Fund

Uttaranchal/037100101025229

COMPLEX/CORPORATION
BANK/CORP0000371

7,46,28,097.00

settled by
RBI with
beneficiary
Bank

SBIN215147701748

मोदी अफसर

सहायक अधिकारी
प्रो. प्रो. प्रो. प्रो. प्रो.
विशेषज्ञ

क्र0 सं0	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे0)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा वन पत्रा का सदन जिनके द्वारा एनपीवी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।	एनपीवी0 की देय धनराशि	क्षति0 वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	तल्ली भिरई वैण्ड से सोनिया-गसर मो0 मार्ग।	3	4	5	6	7	8	9
2	गगास-उडीमहादेव-शैलापानी-मिकियासैन-सरचूला मो0 मार्ग।	0.280	अल्मोड़ा	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा वन पत्रा का सदन जिनके द्वारा एनपीवी0 की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।	इको-नोडल से अनुसार निधिरित धनराशि सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।	3958812	प्र0 वना0 से निधिरित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	0
3	काण्डा-जेठाई मो0 मार्ग से गुरना बागेश्वर दफाट मो0 मार्ग।	13.842	अल्मोड़ा		9094194	520520	800000	13053006
4	रायपुर ब्लाक के नालापानी मार्ग से कोटालगाव मो0 मार्ग।	1.820	बागेश्वर		1537900	732784	प्र0 वना0 से निधिरित देय धनराशि सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी	2858420
5	अगलीगढ़ से दुधई तक मो0 मार्ग।	0.9625	देहरादून	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरागर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1-41-4 देहरादून दि0 07.05.2015	0	0	0	3379262
6	भोगपुर-लालतपड़ मार्ग को घमण्डपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 72 तक मोटर मार्ग।	2.8184	देहरादून		2646478	553410	1200000	1200000
7	चण्डाक-गैडला-तडीगांव मो0 मार्ग।	0.930	देहरादून		1352565	800000	800000	2705975
8	नाघर-कुमल्टो से गंगोलीहाट मो0 मार्ग। (मध्यम वन संरक्षण)	1.935	पिथौरागढ़		734643	0	800000	1534643
9	कांटेगांव-साईखोला-सेरीकाण्डा मो0 मार्ग।	0.819	पिथौरागढ़		4332510	1381380	2000000	7713890
10	अडकिनी-जलतुडी मो0 मार्ग।	4.830	पिथौरागढ़		880406	0	500000	1380406
11	मण्डरीगांव-रजवार-बोक्टा-धुलली मो0 मार्ग।	0.982	पिथौरागढ़		3471390	1106820	2000000	6578210
12	सिलोनी-चिमताली-गैसादूंगा-गड्डोड़ा-चौरा-जमतडी मो0 मार्ग।	3.870	पिथौरागढ़		2341170	746460	1200000	4287630
13	चण्डाक-वास मो0 मार्ग (पोखरी) से सतवाडी तलगाडी मो0 मार्ग।	2.610	पिथौरागढ़		667545	0	1800000	2467545
14	रोडीमाली-रसियापाटा मो0 मार्ग।	0.955	पिथौरागढ़		2058615	656370	1000000	3714985
		2.295	पिथौरागढ़					

अपर प्रमुख वनसंरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून से प्राप्त सबक निर्माण के प्रकारणों की सूची।

क्र.सं.	मार्ग/परियोजना का नाम	क्षेत्रफल (हे०)	जनपद	अपर प्रमुख नोडल अधिकारी एवं मुख्य वनसंरक्षक तथा अन्य पत्रों का संदर्भ जिनके द्वारा एनपीओ की धनराशि जमा करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं।	एनपीओ की देय धनराशि	क्षति वृक्षारोपण की देय धनराशि	पथ वृक्षारोपण की देय धनराशि	योग (का. 6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	आपदाग्रस्त एचोली-जाख-पुरान मो० मार्ग।	2.970	पिथौरागढ़		2076030	849420	820000	3745450
16	आपदाग्रस्त बड़ावे-चण्डणा-फुससखाली-गोधाघैर-खर्कौर मो० मार्ग।	0.270	पिथौरागढ़		242190	0	400000	642190
17	माई (मसौली) मो० मार्ग।	0.810	पिथौरागढ़		726570	0	400000	1126570
18	आपदाग्रस्त कनालीछीना से त्वांटी मो० मार्ग।	1.620	पिथौरागढ़		1453140	463320	600000	2516460
19	सौरभ-चौपड़ा-भटगांव-बवाई मो० मार्ग का निर्माण।	3.227	रुद्रप्रयाग		2727153	839124	1400000	4966277
20	अलकनन्दा नदी पर निरवाली-धारकोट में झूलापुल का निर्माण।	0.030	रुद्रप्रयाग	इको-क्लास के अनुसार निर्धारित धनराशि सम्वन्धित अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से जमा की जानी है।				0
21	खुजीर वैण्ड से चौकी बर्सिल एवं खुजीर वैण्ड-चौकी बर्सिल से तमिल्ल सतेराखाल मो० मार्ग का विस्तार।	0.990	रुद्रप्रयाग	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्टरनगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून का पत्र संख्या 3162/1-41-4 देहरादून दि० 07.05.2015	650430	0		650430
22	रोरा-खरपेड-वांसी-कोटली-रौडिया-जवाड़ी-उत्थासू-मल्यासू मो० मार्ग का निर्माण।	8.908	रुद्रप्रयाग		7051484	0	0	7051484
23	देचोरी देगांव व मूसाबगर के मध्य बौर नदी पर पैदल झूला पुल का निर्माण।	0.120	नैनीताल		125160	0	140946	266106
24	मनुवा गधेरा (शुवाकोट-पोखरी) में 11 मी० लम्बाई में पैदल पुल का निर्माण।	0.800	नैनीताल		75120	0	245553	320673
25	आम जखोल के निकट सांवनी में रूपिन नदी के ऊपर 80 मी० लम्बी झूला पुल का निर्माण।	0.211	उत्तरकाशी		138500	0	102492	240992
	कुल योग:- (क०सं० 1 से 25 तक)				44383193	11808420	16208991	72400604

फाईल नं० 25 बजट शीट-01 दि० 08.05.2015

2/20/24, 3:16 PM

1st FINAL BILL

10101

AGENCY COPY

 Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date: 20-02-2024

Client Code	CAM5089
Location	UTTARANCHAL
Remitter Name	PUBLIC WORK DEPARTMENT
PIF/Application No.	6188870146 ✓
MoEF/SG File No.	1(65)/15
Address	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	pwdpithoragarh@gmail.com 9412144099 5964-225115
Amount(In Rs)	1839836.7/-
Beneficiary Branch and Code	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words: Eighteen Lakh Thirty-Nine Thousand Eight Hundred and Thirty-Seven Rupees Only

Depositor Signature (Signature) _____ Bank Official (Signature) _____

Bank's Transaction Number 60140202402264 55058	Branch Stamp 
--	---

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies ma

Note: After making the required payment through cha even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@

20/2/24 19:57:17 ₹ 16224

RS-1839837=00

36000

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234
पत्रांक:- 817/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 22 अगस्त, 2022।

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/8887/2014)।
संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं0 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022 व भारत सरकार का पत्र दिनांक 19.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्रों के क्रम में ऐसे प्रकरण जो कि दिनांक 06.01.2022 के बाद स्वीकृत हैं, अथवा ऐसे प्रकरण जिनमें कि सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत होने के बाद 05 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका हो, में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के क्रम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार शेष धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के क्रम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार पुनः संशोधित डिमान्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

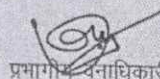
क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (रु0)
1	एन0पी0वी0	3.87 हे0	1372410/- (ईको क्लास-VI) घनत्व 0.4	5311226.70/-	3471390/-	1839836.7/- या 1839837.00/-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट के सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 817/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि संरक्षण, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

File No. NA-1/68/2020-NA
Government of India
National Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
3rd Floor, Supreme Court Metro Station (Line 3) New Delhi-110001
Email: nationalcampa-moecc@gov.in

दिनांक Dated: 21.04.2025

To

The Nodal Officer-cum-APCCF (FCA)
O/o Pr. CCF, Government of Uttarakhand
Forest Department, Dehradun

विषय: पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्ग में जमा की गयी क्षतिपूर्क के वृक्षारोपण की धनराशि ऑनलाईन परिवेश में भुगतान दिखाने के सम्बन्ध में।

Sir,

The undersigned is directed to refer to the letter No. 1396 dated 13.11.2024 on the subject mentioned above and to inform as under:

An amount Rs.7,46,28,097.00 has been received in Corporation Bank now UBI, CGO, Complex, New Delhi-110003 on 28.5.2015 as under:

A - 12 roads for Pithorgarh					
	Land diverted (in ha)	CA	AddICA	NPV	total
1	1.935	553410	800000	13,52,565.00	27,05,975.00
2	0.819	8,00,000.000	-	7,34,643.00	15,34,643.00
3	4.830	13,81,380.000	20,00,000.000	43,32,510.00	77,13,890.00
4	0.9815	5,00,000.000	-	8,80,406.00	13,80,406.00
5	3.8700	11,06,820.000	20,00,000.000	34,71,390.00	65,78,210.00
6	2.6100	7,46,460.000	12,00,000.000	23,41,170.00	42,87,630.00
7	0.9550	-	18,00,000.000	6,67,545.00	24,67,545.00
8	2.2950	6,56,370.000	10,00,000.000	20,58,615.00	37,14,985.00
9	2.9700	8,49,420.000	8,20,000.000	20,76,030.00	37,45,450.00
10	0.2700	-	4,00,000.000	2,42,190.00	6,42,190.00
11	0.8100	-	4,00,000.000	7,26,570.00	11,26,570.00
12	1.620	4,63,320.000	6,00,000.000	14,53,140.00	25,16,460.00
				Total	3,84,13,954.00
B- Two roads					
1			Almora/ Bagheswar(Dehradun)		2,09,90,101.00
2			Rudrprag/Nainital (Utarkashi)		1,52,24,042.00
			Total		3,62,14,143.00
			Grand Total		7,46,28,097.00

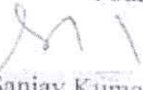
o/c

21/4/25

The amount of Rs.7,46,28,097.00 consists of Rs. 3,84,13,954.00 for 12 roads in Pithoragarh District; Rs.2,09,90,101.00 for Almora/ Bagheswar (Dehradun) and Rs.1,52,24,042.00 for Rudrprag/Nainital has been received. Thus, the above funds have been received CAF Uttarakhand account which are to be shown as paid in Parivesh Portal.

3. This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully


(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forest
National Authority

To,

1. Deputy Director General of Forests (Central), Government of India,
Ministry of Environment Forests & Climate Change, Dehradun, Uttarakhand.
2. Inspector General of Forests (FC), MoEF&CC, New Delhi for information.
3. Team Leader, NIC, Cell with the request to show the above funds as 'Paid' in Parivesh Portal.

2493

06/07/2022

224176

आदेश

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4, उत्तराखण्ड देहरादून के सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र संख्या-151/X-4-15/1(65)2015 दिनांक 30.03.2015 को द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारीगांव रजवार-बोक्टा-धुराली मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.870 है० वन भूमि के बदले दोगुनी 7.740 है० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(III)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में भण्डारीगांव रजवार-बोक्टा-धुराली मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.870 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम भण्डारीगांव रजवार पट्टी मुवानी तहसील देवलथल के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-67 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 8957 रकवा 1.692 है०, 8958 रकवा 1.752 है०, 8959 रकवा 1.692 है०, 8960 मध्ये रकवा 2.604 है० कुल 04 खेतों की 7.740 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, देवलथल स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।
दिनांक जुन. 30, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1898/सात-59 /2021-22

दिनांक जुलाई, 01, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहट।
4. तहसीलदार देवलथल को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ० आशीष चौहान)

जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2493/दि. 06/07/2022

শ্রীমৎ ব্রহ্মচারী মহোদয়

ग्राम - अजयपुरी जीव रक्षवार पछी मुजारी तहसील देवलपूर जिला मीरजापुर

2011-10-10

क्र.सं.	सूचक का नाम व पिता/पति का नाम	उत्तरा सं.	रज्या	प्रमाणित रज्या का रज्या
1	बंजर का. अ.	8957 8958 8959 8960	1.692 1.752 1.692 2.758	1.692 1.752 1.692 2.758
	योग	4	7.894	7.894

अक्षय, जय सत्य तथा दि,

~~CONFIDENTIAL~~

1000

[Signature]
The Director
C-100

2011/01/09

[illegible]

क्र.सं.	आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम
1	पति का नाम		5	0.190	
			15	0.294	
			33	0.191	
			01	0.007	
			1	1	
			आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम	
			1	1	
			1320	0.013	
			1786	0.057	
			1735	0.017	
			1	1	
			आवक/पति का नाम	आवक/पति का नाम	
			1	1	
			2557	2.692	
			8958	1.752	
			8757	1.692	
			2455	2.758	
			1	आवक/पति का नाम	
			आवक/पति का नाम	1	
			21982	6.702	
			21984	6.008	
			2145		
			21082	6.053	
			15173	142.695	

RECEIVED BY THE SECRETARY OF THE ARMY
JAN 10 1964

[Faint handwritten notes and signatures]

प्रारूप-30.4

दिनांक 3/9/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत - राजवत खाला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों के नाम	हस्ताक्षर
---------	--	-----------

- | | | |
|-----|--------------|------------|
| 1- | दीपक राय | दीपक |
| 2- | वपन सिंह | वपन सिंह |
| 3- | होशियार सिंह | Hoshiyar |
| 4 | गोपाल सिंह | गोपाल |
| 5 | जय सिंह | Jay Singh |
| 6 | नारायण सिंह | नारायण |
| 8. | अर्जुन सिंह | अर्जुन |
| 9 | हरीश कुमार | हरिश कुमार |
| 10 | शंकर सिंह | शंकर सिंह |
| 11 | राम सिंह | राम सिंह |
| 12. | मनिल कुमार | मनिल |
| 14. | ड. ड. ड. | |
| 15 | अशोक सिंह | अशोक |
| 16 | मोहन सिंह | मोहन |

मुख्य अधिकारी
प्रमुख

ग्राम पंचायत-गण्डागांव राजवत
वि.स.-कानाडीडीना, पिथौरागढ़
दिनांक 3/09/2014

निरापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक ०३/०१/२०१५
ग्राम पंचायत भण्डारीगौव (रजवा) ग्राम क्षेत्र विकास कार्य
कमालीदीग, लहलील, डीडीहाट, पिछोराग, गौव बोहरा के सभी
लोक निवासी की नाप व बिनाप भूमि सम्बन्ध किसी भी प्रकार
की कोई आपत्ति नहीं है। सड़क सम्बन्धी जो भी कार्रवाई है
इसे हर कर आ-कार मीटिंग गौव बगवो को सड़क से जोड़ने
की रूप कीजिए।

- Diwan Singh

समस्त ग्राम - वाली

क्षेत्र पंचायत सदस्य -
भण्डारीगौव (रजवा)

Munshi Chaudhary
ग्राम प्रधान

1. बुधाल सिंह
2. गोजाल सिंह
3. दीपक राम
4. होशिया सिंह
5. श्याम सिंह
6. नारायण सिंह
7. अनुराग सिंह
8. जय सिंह
9. हरीश कुमार
10. गान सिंह
11. अमर सिंह
12. राम सिंह
13. सुनील भार
14. B.S. Singh

ग्राम पंचायत
भण्डारीगौव (रजवा)
मुख्यालय
पिछोराग

सेवाओं, जमीन जो निम्न कि अधिकारी अधिकार
पिछावाग

मोहम्मद, निम्न वर प्रकार है कि ग्राम पंचायत अधिकारी
रजवार लोक लोक है सड़क मार्ग जो है ग्राम वाहिनी
की किसी की भी दखलाने नहीं है
अतः मोहम्मद से निम्न है कि सड़क मार्ग जल्दी से जल्दी
कारने की चेष्टा कीजिएगा
समस्त ग्राम वाहिनी के एकजुट आवाज है

महोदय
प्रधान

ग्राम पंचायत-मण्डलीगांव रजवार
वि.स.-कनकडीगा, पिछावाग
दिनांक ३/११/२०१४

१. मोहम्मद
२. जेठ
३. जेठ
४. जेठ
५. जेठ
६. जेठ
७. जेठ
८. जेठ
९. जेठ
१०. जेठ
११. जेठ
१२. जेठ
१३. जेठ

महोदय प्रति सम्मानित

सहायक अभिलेखी
ग्राम पंचायत मण्डलीगांव रजवार

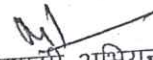
परियोजना का नाम:- भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।



अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम:- भण्डारीगांव रजवार बोक्टा धुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भू-वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़।

Form - 1
(FOR Linear Project)
government of Uttarakhand
Office of the district collector Pithoragarh

No.....

Date-

TO WHOME SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and forest (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) act 2006 (RA, for short) of the forest land proposed to be diverted to non forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it is certified that3.070..... hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Work Department, Govt of UK for construction of motor road From Bhandar-Jawan, Rajauri, Bakti, Dhutuli motor road in Pithoragarh district falls within jurisdiction ofBhandar-Jawan, Rajauri, Bakti, Dhutuli village in Pithoragarh/Didihat tahsil.

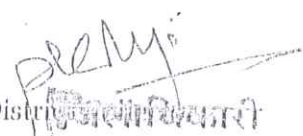
It is further certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire3.070..... hectares of forest area proposed for diversion a copy of record of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram Sabha (s) and sub division level committee(s) and the district level committee are enclosed as annexure.....to.....annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.....
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Each As above.

Dated.

Signature


District Collector
Pithoragarh


District Collector
Pithoragarh


District Collector
Pithoragarh

HT04-39.1

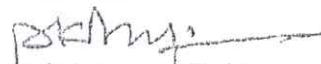
OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional
Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA, 2006 was held
under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. ~~Praveen~~ P.S. deputy commissioner, Pithoragarh on dated
12.12.11, at time 11:00 AM at M.C. P.A., in which application claiming rights in ~~Barwari~~ area measuring
8.87 hect for the construction of ~~road~~ forest land under FRA, 2006 of the following applicant
only processed and recommended by the sub division level committee of ~~P.W.D.~~ sub division were discussed
to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been
made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place, Pithoragarh
Dated, 15.12.11


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
पिथौरागढ़


श्री. एस. एस. श्री
12.12.11
श्री. एस. एस. श्री


सहसचिव,
डीडीएड

प्रमाणित करने के लिए - जनपद मिर्जापुर में मण्डरी मूल रजवार चौकटा दुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मिर्जापुर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, मिर्जापुर

उपखण्ड मिर्जापुर स्थित के अन्तर्गत मण्डरी मूल रजवार चौकटा दुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 1 (शून्य हे० आरम्भित वन भूमि, 0.00 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 3.87 हे० वन पंजायत भूमि, 0.00 अर्थात् कुल 3.87 हे० वन भूमि) का प्राचीन खण्ड लोक विभाग विभाग मिर्जापुर प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र में सुस्तानासित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (सहरीय वनवासी) को दिनांक 10.12.11 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मिर्जापुर में उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति को अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी - अध्यक्ष
उप प्रमानीय वन अधिकारी - सदस्य
सहायक समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य/सचिव
मिर्जापुर जिलाधिकारी के सचिव - सदस्य

उपखण्ड स्तरीय द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करने हेतु उप जिलाधिकारी की अनुमति बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों की उपस्थिति करवा गया कि खण्ड मिर्जापुर में मण्डरी मूल रजवार चौकटा दुराली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य 1 परियोजना हेतु 3.87 हे० वन भूमि प्राचीन खण्ड लोक विभाग विभाग मिर्जापुर प्रयोक्ता एजेन्सी के पत्र में सुस्तानासित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। आम तौर पर कार्यवाही का कोई माकल उभरता नहीं है। अतः वृत्ति का संबंधित आम तौर पर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की अनुमति दी गयी है।

संश्लिष्ट उप प्रमानीय वन अधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं सुस्तानासित नियम 2008 के प्रमाण को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में आम तौर पर/प्रमाण द्वारा अनाधिकार जारी की जा सकती है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनुसूचित जाति की जा सकती है।

मण्डरी मूल रजवार चौकटा दुराली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 3.87 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
मिर्जापुर

प्रमाणित करने के लिए - मिर्जापुर को सूचनाएं एवं आम सार कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

मिर्जापुर जिलाधिकारी
मिर्जापुर जिलाधिकारी
मिर्जापुर जिलाधिकारी

१. $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ का अवकलन करने पर $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ का अवकलन $\frac{x}{1-x^2}$ होता है।

यस अधिकार अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
प्राप्त पंचायत का नाम - राजवाड़ा जिला
तहसील - सिद्धिहट, जिला - मिर्जापुर

अनापत्तिः प्रमाणं यत्

संयोजक के निर्माण हेतु 0.00 हे० आश्रित वन भूमि, 0.87 हे० सिंगल सोमर भूमि 0.00 हे०, वन पंजाबत भूमि) अर्थात् कुल 0.87 हे० वन भूमि का प्रा० ख० लो० नि० वि० विमीरापण किया/संचयन के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परामर्शित कर्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण को दिशान्वित में आम प्रजापत के द्वारा दिनांक 3/9/14 को सामान्य आम राधा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर ग्राम में संबंधित में अनुपस्थित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत धर्ना की गई। यह कि नान अधिकार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत अधिनियत ग्राम भूमि में आदिवासी अथवा किसी और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित ग्राम प्रजापतियों द्वारा समझ किया गया कि उपरोक्त ग्राम भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा और आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परिशोधना के निष्पत्ति हेतु अधिनियत ग्राम भूमि पर सामवासीयों के पञ्चसमस्त अधिकारों का इनमें नहीं हो रहा है।

[illegible]

30/-

आम्र भवान्/सत्सर्पव
गुह्य साहित्य

महोदय वन्द्य
पुनः

गाम संतोषदा-मण्डलमिवां राजा
वि.सं.-वर्षाकीर्ति, मिथीराम
दिनांक ३/११/२०१७